International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 15-09-2020; Accepted: 30-09-2020; Published: 16-10-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 5; 2020; Page No. 112-113

शिवमूर्ति की कहानियों में ग्रामीण स्त्री की मुक्ति चेतना

प्रदीप कुमार साव
शोध छात्र, हिंदी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

हिंदी साहित्य की हर विधा में जहां गांव अनुपस्थित होता जा रहा था। वही शिवमूर्ति ने गांव को अपनी कहानियों को केंद्र बनाया। आधुनिक समय में 'स्त्री विमर्श' जोरों पर है, जहां 'स्त्री विमर्श' कम, देह विमर्श ज्यादा है। ज्यादातर 'स्त्री विमर्श' शहरी स्त्रियों तक सिमटकर रह गई है। वहां ग्रामीण स्त्री के समस्याओं और स्त्री चेतना पर बात नहीं होती है। आधुनिक समय में जब इतना भौतिक बौद्धिक विकास प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सामाजिक व्यवस्था है? ग्रामीण जन–जीवन में स्त्रियों की समस्याएं और स्त्री चेतना क्या है? उस तरफ लेखकों, पाठकों का ध्यान गया है। शिवमूर्ति की कहानियों में ग्रामीण स्त्री समस्याएं और उनकी स्त्री मुक्ति चेतना जैसे विषयों को 'स्त्री विमर्श' के भीतर एक स्थान मिले, साथ ही साथ वह 'स्त्री विमर्श' के नाम पर 'देह विमर्श' पर बहस बाजी न होकर मूल जो स्त्री समस्याएं हैं, जो समाधान है, उस पर बात हो। स्त्रियों को समाज में वास्तविक अधिकार कैसे मिले और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के विकास में कैसे योगदान दें? उस पर बात हो।

मूल शब्दः स्त्री विमर्श, देह विमर्श, ग्रामीण स्त्री, दलित चेतना, स्त्री चेतना, आधुनिक सोच

प्रस्तावना

स्वतंत्रता–पूर्व समाज सुधारकों और साहित्यकारों द्वारा स्त्रियों से जुड़ी हुई थी उसके लिए जो साहित्य रचा गया।वैसे ही आज की समस्याओं को लेकर साहित्य रचा नहीं जा रहा है बल्कि आज स्त्री विमर्श के नाम पर ज्यादातर लेखक यौन समस्या और अश्लीलता को लेकर खूब रचनाएं रच रहे हैं। ग्रामीण स्त्रियों से संबंधित रचनाएं उतनी रची नहीं जा रही है। इसके लिए सार्थक कथाकर शिवमूर्ति नजर आते हैं। शिवमूर्ति की कहानियों में भाषण बाजी नहीं करते है बल्कि वे ग्रामीण स्त्री की मुक्ति चेतना की बात करते है,उनकी समस्याओं को पाठकों से रूबरू कराते हैं, यहां तक समाधान भी देते हैं। उनके दो कहानी संग्रह 'केशर कस्तूरी' और 'कुच्ची का कानून' प्रकाशित हुआ है। जिसमें ग्रामीण स्त्री की मुक्ति चेतना देखी जा सकती है।

शिवमूर्ति की प्रथम कहानी संग्रह केसर कस्तूरी में छः कहानियां हैं 'कसाईबाड़ा', 'अकाल–दंड', 'सिरी उपमा जोग', 'भरतनाट्यम', 'त्तिरिया चरित्तर', और 'केसर कस्तूरी'। दूसरी कहानी संग्रह 'कुच्ची का कानून' में चार कहानियां है। 'ख्वाजा,ओ मेरे पीर!','बनाना रिपब्लिक','कुच्ची का कानून', और 'जुल्मी'। इन सभी कहानियों में स्त्री प्रमुख पात्र के रूप में रूप में उभरी है। अब, इन सभी कहानियों के माध्यम से ग्रामीण स्त्रियों में किस तरह स्त्री मुक्ति चेतना है। इस पर प्रत्येक कहानी को देखा जा सकता है।

'कसाईबाड़ा' कहानी में शनिचरी प्रमुख स्त्री पात्र है इसी कहानी में परधान जी और लीडर जी है। जो गांव के गरीब लोगों का शोषण करता है। एक बार परधान जी गांव के लड़कियों का मुफ्त में शादी कराने का झांसा देकर वह लड़कियों को बाजारू बना देता है। इस पर एक लड़की भागती हुई सनीचरी से कहती है– '' काकी,अपना परधान कसाई है इसने पैसा लेकर हम सबको बेच दिया है। शादी की बात धोखा थी हम सबको पेशा करना पड़ता है। वह रूपमति को भी अमीरों के घर सोने भेजा जाता है। आज मैं किसी तरह से निकल भागी। पीछे बदमाश लग गए थे।'' इस पर गांव वाले जानकर भी विरोध नहीं किया क्योंकि उसे विरादरी की बदनामी और अपने हुक्का पानी बन्द होने का डर था। लेकिन सनीचरी ने इसका परवाह न करते हुए विरोध की पर कुछ असर न हुआ। इस पर लीडर जी उसे इंसाफ का भरोसा देकर चालाकी से सनीचरी का जायदाद अपने नाम करवा लेता है।इस पर वह लीडर जी का विरोध करते हुए भूख हड़ताल ,धरना पर बैठती है। लेकिन उसे धोखे से अपनी पत्नी द्वारा विष पिलवाकर मरवा देता है। इस तरह गांव में बड़े समृद्ध लोग गरीब स्त्री का शोषण करते है। सनीचरी अंतिम समय तक परधान जी और लीडर जी से विरोध करती हुई मरती है। कसाईबाड़ा कहानी में परधानिन और लीडराइन इन दोनों स्त्रियों ने भी अपने पति के इस कसाई भरे काम का विरोध करती है। गांव की स्त्रियां अपने हक के लिए लड़ाई करती रही हैं और उसके पति जो पुरुषवादी सोच है। उसके विरोध में आवाज उठाती रही हैं चाहे वह परिवार में हो या समाज में हो।

'अकालदंड' कहानी में सुरजी एक प्रमुख स्त्री पात्र है। जहां सेक्रेटरी बाबू सुरजी को बुरी नजर से देखता है। इस पर कई बार सुरजी इसका विरोध करती है।लेकिन पर धोखे से उसके घर आकर बदतमीजी करता है। उसका दांत, मुह तोड़ देती और दूसरी पर बदतमीजी करने पर सुरजी ने सेक्रेटरी के नाजुक अंग को ही काट दिया। वाचक के रूप में कहते है– ''अंदर का दृश्य बड़ा भयानक है। सेक्रेटरी बाबू पलंग पर नंग धड़ंग पड़े छटपटा रहे हैं सुरजी ने हंसिए से उनकी देह का नाजुक हिस्सा अलग कर दिया है और पिछवाड़े के रास्ते भागकर अंधेरे में गुम हो गई है।'' इस तरह कहानी अंतिम वाक्य से समाप्त हो जाती है। शिवमूर्ति के कहानियों के स्त्री पात्र है जो अंतिम क्षण में विरोध करते हुए, हिंसा तक कर देती है। जिससे समाज के अन्य पुरुषों को भी सबक मिल सके।

तिरिया चरित्तर' कहानी में 'विमली' एक प्रमुख स्त्री पात्र है। विमली के माता–पिता बाहर काम करने में असमर्थ हैं और वह विकलांग भी हैं। इसलिए विमली घर से बाहर 'खान साहब के चिमनी' में काम करने जाती है और अपने माता–पिता का पालन पोषण करती है। विमली इस धारणा को बदल देती है कि स्त्रियां

घर से बाहर काम नहीं कर सकती। आज के समय में भी यही हालत है। गांव में स्त्रियां को घर से बाहर काम करना अच्छा नही माना जाता है। इसके बावजूद भी शिवमूर्ति ने विमली द्वारा घर से बाहर काम करके आने माता–पिता का पालन पोषण करती हैं। किस तरह लड़की लड़के का स्थान ले लेती है।इस पर गांव वाले कहते है– महतारी– बाप का जितना ध्यान विमली रखती है,उतना तो इस गांव में किसी का लड़का भी नहीं रखता।'' विमली के अड़ोस पड़ोस वाले उसे अच्छा नहीं मानते हैं।लेकिन विमली इस पर ध्यान न देकर अपना कर्तव्य समझ करती है। वह सोचती है ''अपना ही क्यों? सबका पेट पालेगी वह।भाई भाग गया तो क्या?वह लड़का बनकर रहेगी।नया नया भट्ठा खुला है गांव में । काम की अब क्या की कमी है।'' इस तरह ग्रामीण स्त्रियों में स्त्री मुक्ति चेतना काफी प्रखर हुई है। वह पुरुषों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। विमली का चरित्र एक भारतीय स्त्री के रूप में उभरा है। विमली का विवाह बचपन मे ही तय ही गया था। विमली भी अपनी जिन्दगी का फैसला नहीं कर उसी विवाह को स्वीकार कर ससुराल चली जाती है। हालांकि उसे ट्रैक्टर वाला व्यक्ति पसंद था लेकिन वह गांव के रस्म को पूरा करती है। वह समाज की मर्यादा को तोड़ती नहीं है और वह पति के घर चली जाती है लेकिन वहां उसके ससुर मान सम्मान न देकर काफी सताने लगता हैं। उसी से घर का सारा काम करवाता था।जो काम न करने लायक था वह भी कम करवाता है। इससे वह बर्दास्त नही करती है। वह विरोध करती है।ससुर का व्यवहार ठीक न था। एक बार धोखे से चारणामरित पिलाकर विसराम बदतमीजी करने लगा। इस बार विमली ने काफी मारा और भाग गई। वह उसके अत्याचार को सहती नही रही। लेकिन उसे पकड़कर पंचायत के सामने लाया जाता है और सभी पुरुषों ने गलत फैसला सुनाया और उसे कलंक लगाने को कोशिश की गई।एक पुरुष पात्र पंचायत कहता है।–''किसकी औरत है यह? जनाना की जात, बिना बुलाए कैसे कूद पड़ी बीच मे। छुट्टा छूटी है? कौन है इसका आदमी?''लेकिन वह हार न मानते हुए इस पंचायत का काफी विरोध की। एक स्त्री पात्र कहती है।– ई अंधेर है। दगनी दागना है तो विसराम और बोधन चौधरी के चुतर पर दागना चाहिए।३..वही आदमी बेबस बेकसूर लड़की को दागेगा? पंचायत नियाव (न्याय) करने बैठी है या अंधेर करने? ''लेकिन वह अपने विरोध में सफल न ही सकी। इस तरह शिवमूर्ति की नारी पात्र कभी हार नही मानती है बल्कि संघर्ष करती हुई जीवन जीती है।अन्याय का पूरा विरोध करती है। भले वह सफल हो या असफल।

यही बात 'कुच्ची का कानून' कहानी में भी है। पंचायत का विरोध करती हुई इस लड़ाई को जीत जाती है।इसमें अन्य स्त्रियां भी साथ देती है। 'कुच्ची का कानून' कहानी में कुच्ची एक प्रमुख स्त्री पात्र है। इस कहानी में वनवरिया और बजरंगी दोनों चचेरे भाई हैं। बजरंगी का विवाह कुच्ची से हुआ है,बजरंगी जिंदा नही है और वनवरिया का विवाह सुलक्षणी से हुआ है। वनवरिया को कुच्ची पसंद है अतः उसे बुरी नजर से देखता है और उससे शादी करके पूरी सम्पति का मालिक बनाना चाहता है। इस लोभ से अपनी पत्नी के बारे में सोचता है।''जनाना का मुंह बंद करना कौन मुश्किल काम है रोज सुबह शाम चार डंडा पड़ेगा तो दस दिन में बोलती बंद हो जाएगी।'' इस तरह के पुरुषवादी मानसिकता है वनवरिया का है।एक बार वनवरिया कुच्ची से बदतमीजी करता है तो इस बीच कुच्ची हंसिया उठाकर हुंकार भरती है और कहती है–'' बाप की तरह लगते हो और राल चुआते शरम नहीं आती?'' जब वनवरिया जमीन जायदाद लेने के चक्कर मे रहता है तो विरोध प्रकट करती हुई कहती है– ''सिंघी मछली बनकर उसके गले में अटक जाउंगी।उसकी आंत में हाथ डालकर जमीन निकालूँगी।'' इस तरह से शिवमूर्ति ग्रामीण स्त्री के तेवर दिखाते है।

इस कहानी में एक अलग मोड़ आता है जब कुच्ची के पेट में नाजायज संतान होने वाला है। इसकी खबर गांव में फैल जाती है कि जब उसके पति ही नहीं रहा तो उसके पेट में बच्चा कैसे आया? इस बात से सभी परेशान है पर कुच्ची को कोई भय नहीं है और जब पंचायत बैठती है तो उसमें सवाल–जवाब में पूरे प्रश्नों का उत्तर देती है। वो कहती है मेरी गोद भरने से मुझे सहारा मिलने से गांव की नाक कैसे कट जाएगी? क्या मेरे भूखे सोने से गांव के पेट में कभी दर्द हुआ?... जब मेरी भूख पूरे गांव की भूख नहीं बनती, मेरा दुःख दर्द पूरे गांव का दुख दर्द नहीं बनता तो मेरे किसी किसी काम से पूरे गांव की नाक कैसे कट जाएगी? वह कहती है कि विरासत का कानून हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख कर गए हैं हजारों साल पहले तो पुरानी बात हो गई अब वह नई सोच, नई चेतना की बात कीजिए। कुच्ची कहती है।–''मेरी कोख पर मेरा हक कब बनेगा?'' इस पर पंचायत वाले बोलते है।–''अरे मूर्ख, वंश मां से नहीं , बाप की बूंद और नाम से चलताहै''।इस तरह कीबातें बोलकर पंचायत पुरुषवादी मानसिकता की दर्शाता है।इसी तरह से कुच्ची भी की प्रश्न दागती है।पंचायत में पुरुष ही क्यों फैसला करने के किए बैठे है? क्या स्त्रियां बैठ नहीं सकती है?महिलाओं को पति की खेती बाड़ी में विवाह के दिन से ही आधा मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जाता है? तमाम तरह की तर्कसंगत बातें बोलकर पंचायत के मुंह बंद देती है और अंत में वह कहती है कि मेरी कोख पर मेरा हक है कि नहीं? मेरे सवाल है कि फसल पर पहला हक किसका है खेत का की बीज? आदमी की नजर में औरत खुद प्रॉपर्टी बन कर रह गया है। ऐसा प्रतीत होता है सरकार भी मर्दों की तरफदारी वाले कानून बनाकर रख छोड़े हैं। इन सभी बातों से कुच्ची का कई लोग का साथ देने लगती है।इस तरह कुच्ची इस लड़ाई को जीत जाती है।

शिवमूर्ति अपनी 'कुच्ची का कानून' और 'केशर कस्तूरी' कहानी संग्रह के सभी कहानियों में स्त्री को ही प्रमुख पात्र बनाते है।उसी के द्वारा अपनी सभी बातें को कहलवा देते है। वास्तव में आधुनिक समय के ग्रामीण समाज में स्त्रियों में मुक्ति चेतना आयी है। वे अपनी हक के प्रति सचेत हुई है। जो उपरोक्त कहानियों में देखे जा सकते है।

संदर्भ सूची

1. शिवमूर्ति, केसर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण– 2015,पेज–09
2. शिवमूर्ति, केसर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण– 2015,पेज–50
3. शिवमूर्ति, केसर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण– 2015,पेज–84
4. शिवमूर्ति, केसर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण– 2015,पेज–85
5. शिवमूर्ति, केसर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण– 2015,पेज–120
6. शिवमूर्ति, केसर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण– 2015,पेज–122
7. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण– 2017,पेज–84
8. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण– 2017,पेज–104
9. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण– 2017,पेज–132
10. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करण– 2017,पेज–133